कार्यालय जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।

संख्या – 792 /जि0आ0अ0/वि0म0दु0 रानीगंज थाना/ई–टे0/प्रतापगढ़/ दिनांक 25 सितम्बर, 2021

ई–टेण्डर सम्बन्धी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद प्रतापगढ़ की निरस्त विदेशी शराब दुकान रानीगंज थाना क्षेत्र–5 रानीगंज प्रतापगढ़ का वर्ष 2021–22 का व्यवस्थापन आबकारी नीति वर्ष 2021–22 एवं नियमावली के प्राविधानानुसार वर्ष 2021–22 की शेष अवधि हेतु ई–टेण्डर के माध्यम से कराया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत है :–

क0	दुकान का नाम	प्रकार	शाप आई0डी0	प्रास्थिति	लाइसेंस फीस	प्रतिभूति धनराशि	धरोहर धनराशि	हैसियत/वैल्यूवर
1	रानीगंज थाना	विदेशी शराब	12281	नगर पंचायत	11,65,000	1,16,500	1,16,500	11,65,000

2–आवेदक की उम्र 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए।

3–जिनके पक्ष में वर्ष 2021–22 हेतु 02 मदिरा दुकाने आवंटित हो चुकी है, व इस शराब दुकान पर आवेदन हेतु पात्र नही होगें।

4– उक्त विदेशी शराब, की दुकान हेतु प्राप्त ऑफर में सर्वाधिक वार्षिक लाइसेंस फीस के ई–टेण्डर/आफर को स्वीकार किया जायेगा। यदि दो या दो से अधिक समान अधिकतम ई–टेण्डर/आफर प्राप्त होते है, तो मैनुअल लाटरी के माध्यम से ऐसे समान ई–टेण्डर/आफर में से एक को चुन कर व्यवस्थापन कराया जायेगा।

5– उक्त विदेशी शराब दुकान में चयनित ई–टेण्डर में प्राप्त सर्वाधिक लाइसेंस फीस में से व्यपगत अवधि के लिये लाइसेंस फीस को घटाकर आबंटन के दिनांक से वर्ष की अवशेष अवधि हेतु निर्धारित किया जायेगा तथा तद्नुसार लाइसेंस फीस फीस 03 कार्यदिवस में जमा करायी जायेगी तथा 20 कार्यदिवस में सम्पूर्ण प्रतिभूति धनराशि भी अनिवार्य रूप से एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करना होगा।

6– उक्त विदेशी शराब की दुकान के लिये ऑन लाइन ई–टेण्डर आमंत्रित किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यक्रम निर्धारित है:–

1	Tender publishing date	27-09-2021 at 09:00
2	Document download Start date	27-09-2021 at 11:00
3	Document download end date	01-10-2021 at 12:00
4	Bid submmission start date	27-09-2021 at 11:00
5	Bid submmission closing date	01-10-2021 at 02:00
6	Technical bid opening date	04-10-2021 at 11:00
7	Financial bid opening date	04-10-2021 at 02:00
8	The place of bid opening	NIC PRATAPGARH
9	Tender inviting officer	Collector pratapgarh

7–आवेदक को **निर्धारित आवश्यक प्रपत्र** यथा सालवेंसी प्रमाण–पत्र/अधिकृत वैल्यूअर द्वारा निर्गत सम्पत्ति प्रमाण पत्र ,शपथ पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड आई0टी0आर0, चरित्र प्रमाण पत्र आदि प्रपत्र भी स्कैन करके ई–टेण्डर पोर्टल के **टेक्निकल बिड सेक्शन** में अपलोड करना अनिवार्य है।

8–प्रश्नगत दुकान का मासिक प्रतिफल प्रतिमाह उठाना अनिवार्य होगा।

आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रकिया वेबसाईट www.etender.up.nic.in पर सम्पादित की जायेगी तथा विदेशी मदिरा दुकान रानीगंज थाना हेतु उक्त वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाइन ऑफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक /ऑफरदाता को Digital Signature Certificate (DSC) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार करानी होगी तथा etender.up.nic.in पर पॅजीकरण करना होंगा, जिसके माध्यम से वह मदिरा दुकान हेतु आवेदन कर सकेगा। उक्त मदिरा की दुकान के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण दुकान के न्यूनतम वार्षिक लाइसेंस फीस सहित जनपद की वेबसाईट pratapgarh.nic.in पर भी उपलब्ध है। उपरोक्त के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी प्रतापगढ़ एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–5 रानीगंज प्रतापगढ़ से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

25/09/21

जिला आबकारी अधिकारी
प्रतापगढ़।

25/9/21

जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी
प्रतापगढ़।

संख्या – 793-794 /जि0आ0अ0/वि0म0दु0 रानीगंज थाना/ई–टे0/प्रतापगढ़/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी प्रतापगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

2– सम्पादक समाचार पत्र दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने समाचार पत्र के अगले अंक में प्रतापगढ़ सिटी पेज पर 13 से0मी0×13 से0मी0 (लगभग) के बाक्स में न्यूनतम निर्धारित सरकारी दर पर प्रकाशित कर भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करें।

25/9/24

जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी
प्रतापगढ़।